प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 525/2012

1 – एस.के. जैन, पिता आर.सी. जैन, उम्र लगभग 65 वर्ष, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट, पता: वृंदावन कॉलोनी, जिंदल रोड, रायगढ़, जिलारायगढ़ सी.जी.

2 – ए.के. खरे उम्र लगभग 64 वर्ष पूर्व उप महाप्रबंधक प्रभारी सिंटरिंग प्लांट–1 भिलाई स्टील प्लांट, पता हनुमान मंदिर के पास मैत्री नगर, भिलाई दुर्ग छ.ग.

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, – उप निदेशक / कारखाना निरीक्षक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, जी.ई. रोड, रायपुर नाका, दुर्ग जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2 – उप निदेशक / कारखाना निरीक्षक औद्योगिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आवास बोर्ड परिसर जी.ई. रोड रायपुर नाका, दुर्ग,जिलादुर्ग सी.जी

---उत्तरवादीगण

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु : श्री सुयश गुप्ता, अधिवक्ता श्री काशिफ शकील, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :डॉ. सुरेंद्र कुमार देवांगन, पैनल अधिवक्ता।

(माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

13/10/2025

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत दायर यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका रायपुर राज्य औद्योगिक न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 26/सीजीआईआरएक्ट/IV/2011 में दिनांक 13.06.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा औद्योगिक न्यायालय ने दाण्डिक मामला संख्या 811/एफए/2006/फैक्ट्री एक्ट/फेटल में दिनांक 21.11.2011 को जे.एम.एफ.सी–सह–श्रम न्यायालय, दुर्ग

द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी, जिसमें आवेदकों को कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे आगे अधिनियम, 1948 कहा गया है) की धारा 92 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें न्यायालय के उठने तक 1,00,000/– रुपये के जुर्माने के साथ दंड पारित किया गया और जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की दंड भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि संबंधित समय पर, आवेदक संख्या 1 कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) के पद पर कार्यरत थे और सिंटरिंग प्लांट फैक्ट्री के प्रभारी थे, जबकि आवेदक संख्या 2 उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और भिलाई स्टील प्लांट (संक्षेप में, बी.एस.पी.) में सिंटरिंग प्लांट–1 के प्रभारी थे।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 22.07.2006 को दुर्घटना घटी, जिसमें कीर्तनलाल गोंड की मृत्यु हो गई और प्लांट के निरीक्षण के दौरान, फैक्ट्री इंस्पेक्टर श्री के.के. द्विवेदी ने पाया कि 22.07.2006 को प्लांट परिसर में उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में दुर्घटना घटी थी।उन्होंने यह भी पाया कि अभियुक्तों ने अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(1) का उल्लंघन किया है, क्योंकि कारखाने में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका दायित्व है और घटना वाले दिन कन्वेयर बेल्ट संख्या सी–1 के चलने वाले सिरे की पुली के दोनों ओर कोई सुरक्षात्मक आवरण स्थापित नहीं था। उनकी इस चूक के परिणामस्वरूप, उस विशेष तिथि को कार्यरत कीर्तनलाल गोंड कन्वेयर बेल्ट में फंसकर मर गया, जो अधिनियम, 1948 की धारा 21(i) के खंड 6(बी) का भी उल्लंघन है और इसलिए आवेदक अपने श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे।इस प्रकार की निरीक्षण पश्चात् साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए और फिर आवेदकों को 25.07.2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिस पर दोनों आवेदकों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उनके जवाबों से संतुष्ट न होने पर, पी. डब्ल्यू 1 के.के. द्विवेदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया और परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1948 की धारा 105 के तहत जे.एम.एफ.सी.–सह–श्रम न्यायालय, दुर्ग में आरोप पत्र दाखिल किया गया।आवेदकों ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा विचारण की प्रार्थना की।विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में केवल एक साक्षी, के.के. द्विवेदी, कारखाना निरीक्षक, उद्योग एवं सुरक्षा (प्रत्यक्षदर्शी प्रथम) को पेश किया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने अपने बचाव में प्रबंधक के.के. यादव को प्रत्यक्षदर्शी प्रथम के रूप में पेश किया।याचिकाकर्ताओं के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए।

4. मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, माननीय न्यायमूर्ति एम.एफ.सी. ने दोषसिद्धि और सजा का फैसला दर्ज किया, जिसे औद्योगिक न्यायालय ने बरकरार रखा, जैसा कि प्रारंभिक कंडिका में उल्लेख किया गया है।अतः , यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि और दंड का निर्णय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किए बिना, त्रुटिपूर्ण है।उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही न्यायालय बचाव पक्ष के साक्षी के.के. यादव, शिफ्ट मैनेजर, के साक्ष्य को समझने में विफल रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं से अवगत थे और अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्पष्ट रूप से

कहा था कि सुरक्षा के उचित उपाय किए गए थे और कन्वेयर बेल्ट को रोकने के लिए आपातकालीन स्विच भी था। इन उपायों के अलावा, बाड़ लगाने के लिए टेल एंड पुली से छड़ें जुड़ी हुई थीं और ये छड़ें इस तरह से लगाई गई थीं कि सफाई के लिए इन्हें हटाया जा सके। इसलिए, सुरक्षा उपायों की कमी की संभावना से इनकार किया जा सकता है।उन्होंने आगे निवेदन किया कि मृतक श्रमिक कीर्तन लाल गोंड पिछले 12–13 वर्षों से संयंत्र में कार्यरत थे और उन्हें सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी थी। यह दुर्घटना मृतक श्रमिक की स्वयं की गलती और लापरवाही के कारण हुई, न कि केवल आवेदकों की गलती के कारण।इन आधारों पर निवेदन किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए दोषसिद्धि और दंड के निर्णय को अपास्त किया जाए और आवेदकों को दोषमुक्त किया जाए।आर.बी.सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो 2009 (4) सीजीएलजे 255 में प्रकाशित हुआ है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. तर्कों को समझने के लिए, सबसे पहले, मैं पी. डब्ल्यू 1 के.के. द्विवेदी, फैक्ट्री मैनेजर के बयान पर ध्यान केंद्रित करूंगा।उनके बयान के अनुसार, दुर्घटना 22.07.2006 को हुई थी, जिस दिन कन्वेयर बेल्ट संख्या सी–1 की चलती हुई पुली के दोनों ओर फिटिंग और सुरक्षा गार्ड ठीक से नहीं लगे थे। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने यह भी पाया कि कन्वेयर बेल्ट के चलते समय उससे गिरे हुए केंद्र को श्रमिकों द्वारा आवश्यकतानुसार चलती हुई कन्वेयर बेल्ट पर पुनः स्थापित किया जा रहा था और उचित सुरक्षा उपायों को लागू न करना अधिनियम, 1948 की धारा 7 ए(1) और धारा 21(1)(iv)(बी) का उल्लंघन है। अतः, आवेदकों की इस लापरवाही के कारण मृतक श्रमिक की मृत्यु हुई। प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि कन्वेयर बेल्ट सी–1 के गतिशील प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी उपलब्ध है और प्लेटफॉर्म के अंतिम पायदान से लगभग दो मीटर की दूरी पर कन्वेयर बेल्ट की गतिशील पुली का एक हिस्सा है। सीढ़ी से उतरने के बाद, गतिशील पुली तक पहुँचने के लिए 3 से 4 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है।उनके बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के दिन वे वहाँ उपस्थित नहीं थे और उन्होंने 24.07.2006 को संयंत्र का दौरा किया और उसके बाद निरीक्षण किया।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतक कर्मचारी एक नियमित कर्मचारी था और उसका काम चलती हुई बेल्ट पर सामग्री की निगरानी करना था। इसके अलावा, उसे यह देखने का भी काम सौंपा गया था कि कन्वेयर बेल्ट पर रखी सामग्री बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही है या नहीं और क्या पुल अपने तल पर ठीक से चल रहा है या नहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कन्वेयर बेल्ट तभी रुकती है जब चलती हुई बेल्ट चल रही होती है।इसी प्रकार, उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्घटना वाले दिन मृतक श्रमिक चलती हुई पुली के पास क्यों गया था, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने स्वेच्छा से यह भी स्वीकार किया कि चलती हुई पुली की सुरक्षा के लिए छड़ें लगी हुई थीं।उन्होंने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि चलती हुई पुली के पास खड़े होकर यह पता लगाया जा सकता है कि कन्वेयर बेल्ट चल रही है या

रुकी हुई है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के दौरान भी निरीक्षण किया जा सकता है और कार्यस्थल पर वहां लगी छड़ों को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही रास्ता बना हुआ है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चलती हुई पुली के पास लगी छड़ें श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हैं

9. पी. डब्ल्यू.1 के.के. द्विवेदी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के अलावा अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य साक्षी से परीक्षा नहीं की है।यद्यपि अभियोजन पक्ष ने वहां काम करने वाले कई कर्मचारियों को गवाह के रूप में पेश किया है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनसे परीक्षा नहीं की है।बचाव पक्ष के साक्षी के.के. यादव, प्रबंधक (डी.डब्ल्यू.1) के साक्ष्य के संबंध में, उन्होंने शपथपूर्वक बयान दिया है कि वे 1999 से भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं और घटना के समय वे प्रोजेक्टर विभाग में प्रबंधक के पद पर थे और जुलाई 2006 में, उन्हें सिंटरिंग प्लांट नंबर 1 में शिफ्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था और घटना दिनांक को, मृतक कर्मचारी उनके पर्यवेक्षण में काम कर रहा था और मृतक कर्मचारी का कर्तव्य यह निगरानी करना था कि कन्वेयर बेल्ट चल रही है या रुकी हुई है और सिंटरिंग प्लांट के पास 10 फीट भूमिगत था और साथ ही तीन तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। उनके अनुसार, पुली सीढ़ी के अंतिम पायदान से 8–10 फीट की दूरी पर स्थित है, जिसके ऊपर से कन्वेयर बेल्ट गुजरती है। अंतिम पायदान से पुली के अंतिम छोर तक का रास्ता 5–6 फीट चौड़ा है। सीढ़ी के पास ही एक आपातकालीन स्विच भी है, जो बेल्ट को रोक देता है और इसके रुकने के बाद ही कर्मचारी अंदर प्रवेश करता है। सुरक्षा कारणों से पुली को छड़ों से घेरकर सुरक्षित किया गया है और ऊपर से यह जांच की जा सकती है कि बेल्ट चल रही है या नहीं। बेल्ट के रुकने के बाद ही नीचे उतरा जा सकता है।उसके बयान के अनुसार, वह मृतक को जानता था, जो पिछले 12–13 वर्षों से प्लांट में काम कर रहा था। उसकी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि टेल एंड पुली को ढकने के लिए तीन तरफ से बाड़ के रूप में लगाई गई छड़ें कमर की ऊंचाई तक थीं और उन्हें इस तरह से लगाया गया था कि सफाई के लिए उन्हें हटाया जा सके, और इस तरह तीन छड़ें लगाई गई थीं।10. पी. डब्ल्यू. 1 के.के. द्विवेदी के बयान को सरसरी तौर पर देखने से ही आवेदकों/आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह साक्षी दुर्घटना के दिन उपस्थित नहीं था और दुर्घटना के बाद उसने संयंत्र का दौरा किया और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की।यहां तक कि उसके बयान के अनुसार भी, श्रमिकों/मजदूरों के कार्यस्थल के पास सुरक्षा उपाय स्थापित थे।दूसरी ओर, बचाव पक्ष के डी.डब्ल्यू.1 के.के. यादव, प्रबंधक के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक श्रमिक भी वहां सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए काम कर रहा था।इसके अलावा, वह 21.07.2006 से 22.07.2006 तक सिंटरिंग प्लांट नंबर 1 में शिफ्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थे और उनकी ड्यूटी रात 10:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक थी और अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने हर कोने की जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है।पिछले 12–13 वर्षों से वहां काम कर रहे कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य समय के दौरान सावधानी बरते। कन्वेयर बेल्ट को रोकने के लिए स्विच बोर्ड उपलब्ध कराया गया है और उसे हिलने से रोकने के लिए बाड़ भी लगाई गई है। साथ ही, कन्वेयर बेल्ट की जांच सीढ़ी से ही की जा सकती है, बिना वहां जाए। ऐसे में संबंधित कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. कारखाना अधिनियम की धारा 7 ए (1) तथा 21 (1) (iv (बी) को इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"7 क. अधिभोगी के सामान्य कर्तव्य।--- (1) प्रत्येक अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि कारखाने में काम करते समय सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण यथासंभव सुनिश्चित हो।"

xxxxxxxxxxxxxxxx

21. मशीनरी की बाड़।---- (1) प्रत्येक कारखाने में निम्नलिखित, अर्थात्:---

(i) xxxxx xxxx xxxx xxxx

(ii) xxxxx xxxx xxxx xxxx

(iii) xxxxx xxxx xxxx xxxx

(iv) जब तक वे ऐसी स्थिति में न हों या इस प्रकार निर्मित न हों कि कारखाने में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतने ही सुरक्षित हों जितने कि वे सुरक्षित रूप से बाड़ लगाए जाने पर होते, तब तक निम्नलिखित, अर्थात्:---

(a) xxxx xxxx xxxx xxxx

(बी) ट्रांसमिशन मशीनरी का हर भाग:तथा

(सी) xxxxx xxxx xxxx xxxx

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. आर.बी. सिंह (उपरोक्त) मामले में, कंडिका 10 में यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

"10. आवेदक/आरोपी के विरुद्ध कोई भी मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार था।क्रेन ऑपरेटर बुधारू के बयान के अलावा आवेदक/आरोपी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है और बुधारू को विरोधी घोषित कर दिया गया है।केवल महेश कुमार अग्रवाल के बयान के आधार पर, जो दुर्ग में कारखाना निरीक्षक और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उप निदेशक के रूप में कार्यरत थे, आवेदक/आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

13. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, इस न्यायालय का भी यही मत है कि आवेदकों/आरोपियों के विरुद्ध किसी भी मामले को सिद्ध करने के लिए, उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। अभिलेख पर मौजूद के.के. द्विवेदी (पी.डब्ल्यू.1) की एकमात्र कथन के अलावा, आवेदकों/आरोपियों के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.1 के कथन की पुष्टि करने के लिए अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षीयों का कोई साक्ष्य नहीं है।यदि अभियोजन पक्ष ने आवेदकों की ओर से लापरवाही को दर्शाने के लिए अधिक साक्षीयों की जांच की होती, तो स्थिति भिन्न होती है।अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी निर्णायक और ठोस साक्ष्य नहीं है।यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तों की लापरवाही किस प्रकार थी।उपरोक्त साक्ष्यों के अभाव में, अभियुक्तों को उपरोक्त अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।उपरोक्त चर्चा के आलोक में और शिफ्ट मैनेजर, डी. डब्ल्यू. 1 के.के. यादव के बयान पर विचार करते हुए, तथा इस तथ्य पर कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को

संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, मेरा यह सुविचारित मत है कि दोनों न्यायालयों द्वारा दिया गया दोषसिद्धि एवं दंड का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, अतः ऐसे निर्णय को अपास्त किये जाने योग्य है।

14. परिणामस्वरूप, औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2012 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।आवेदकों को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

सही/–
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

*प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur